



मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

Website : www.mpsamb.gov.in

E-mail : enammpsamb@gmail.com

Tel. : 0755-2554949

क्रमांक / बोर्ड / रा0कृ0बा0 / 2019-20 / ई-24 / 95
प्रति,

भोपाल, दिनांक-24/06/2019

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त 58)

जिला - (म0प्र0)


विषय:- "राष्ट्रीय कृषि बाजार" (e-NAM) योजनान्तर्गत कृषि उपज की असेइंग हेतु ग्रेन एनालाइजर मशीन के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में भारत सरकार, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग नई-दिल्ली की "राष्ट्रीय कृषि बाजार" (e-NAM) योजना संचालित है। e-NAM योजना से संबद्ध म0प्र0 की 58 कृषि उपज मण्डियों में कृषकों द्वारा लाई गई कृषि उपज की असेइंग कराने व उसकी रिपोर्ट e-NAM पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक की नियुक्ति हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु मण्डी बोर्ड मुख्यालय स्तर से निविदा का प्रकाशन कराया जा रहा है।

e-NAM योजना से संबद्ध प्रत्येक मण्डी समिति के लिये संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय में पृथक-पृथक निविदा प्रस्तुत की जावेगी। उक्त के संबंध में ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक की नियुक्ति हेतु निविदा दस्तावेज इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित हैं।

अतः निविदा दस्तावेजों में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर परीक्षण उपरांत उपरोक्तानुसार निविदा स्वीकृति की कार्यवाही मण्डी स्तर पर की जावे।
संलग्न - उपरोक्तानुसार।




प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

भोपाल, दिनांक-24/06/2019

क्रमांक / बोर्ड / रा0कृ0बा0 / 2019-20 / ई-24 / 96

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2. संयुक्त / उप संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय(समस्त)



प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

**e-NAM पोर्टल से संबद्ध
कृषि उपज मण्डी समितियों में
ग्रेन एनालाइजर मशीन के स्थापक सह सेवा
संचालक की नियुक्ति बाबत
निविदा दस्तावेज**

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति
..... जिला (म0प्र0)

ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक की नियुक्ति हेतु निविदा दस्तावेज वर्ष

1. निविदाकार का नाम
2. मण्डी समिति का नाम
3. जिला
4. निविदा फार्म का मूल्य रूपये 1000=00 (रूपये एक हजार मात्र)
5. निविदा फार्म मूल्य की प्राप्ति नगद/बैंक ड्राफ्ट

क्र	डी. डी. नम्बर/नगद राशि पावती नंबर	दिनांक	राशि
1.			

6. निविदा फार्म के साथ प्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचना की प्रति संलग्न है, जिसमें निविदा प्राप्ति, खोलने आदि का विवरण अंकित है। कृपया उसे ध्यान से पढ़कर समय पर निविदा प्रस्तुत करें।

निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी

का नाम

पद

मण्डी/जिला

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड 26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

सामान्य परिचय

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन के विपणन में उत्पादक कृषकों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। मण्डी बोर्ड द्वारा यह कार्य म0प्र0 की 257 कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से सम्पन्न किया जा रहा है।

भारत सरकार की "राष्ट्रीय कृषि बाजार" (e-NAM) योजना के अनुसार कृषकों को राष्ट्रीय स्तर पर उनके उत्पाद को विक्रय के लिये ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। "राष्ट्रीय कृषि बाजार" (e-NAM) एक पैन-इंडिया इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो मौजूदा कृषि उपज मण्डी समिति का एक विस्तार है। ई-नाम पोर्टल सभी कृषि उपज मण्डी समितियों से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिये सेवा प्रदान करता है। इस योजना में अन्य सेवाओं के साथ-साथ मण्डी प्रांगण में कृषि उपज के आगमन और कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने, व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के लिये सुविधा हैं।

वर्तमान में मध्यप्रदेश की 58 कृषि उपज मण्डियों को e-NAM से जोड़ा गया है। "राष्ट्रीय कृषि बाजार" (e-NAM) से संलग्न कृषि उपज मण्डी में किसान स्थानीय व्यापारियों के साथ-साथ इंटरनेट के माध्यम से देश के अन्य राज्यों में स्थित व्यापारियों को भी अपना माल विक्रय कर सकेगा। क्योंकि मण्डी क्षेत्र के बाहर/अन्य मण्डी क्षेत्र का भी व्यापारी सीधे उक्त जिन्स की बोली ई-नाम के पोर्टल से लगा सकता है। इसके अंतर्गत जिस व्यापारी से बेहतर भाव मिलेंगे, किसान उसे बेचने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भापाल

कृषि उपज की ग्रेडिंग की आवश्यकता : स्वच्छ बाजार के लिये
अनिवार्य

कृषक को उसके स्कंध का गुणवत्ता अनुरूप उचित मूल्य प्राप्त हो, वहीं यह भी आवश्यक है कि क्रेता को मूल्य निर्धारण पूर्व उसके द्वारा क्रय किये जा रहे स्कंध की गुणवत्ता उसे ज्ञात हो। जिससे वह स्वयं निश्चित कर सके कि गुणवत्ता अनुसार ही उसके द्वारा स्कंध का उचित भुगतान किया है। स्कंध की गुणवत्ता निश्चित हो जाने पर सौदों में गुणवत्ता संबंधी किसी प्रकार के विवाद नहीं होंगे। मूल्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और एक स्वस्थ बाजार का निर्माण होगा। सौदे भी तेजी से हो सकेंगे और भविष्य में उस स्कंध के बहुतेरे सौदे संभव होंगे। अन्ततः उपभोक्ता भी गुणवत्ता निर्धारण से लाभांवित होंगे।

उपरोक्त कारणों से कृषि उपज मण्डी में विक्रय हेतु उपलब्ध स्कंध का गुणवत्ता का निर्धारण अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु शासन द्वारा ई-नेम से संबद्ध सभी मण्डियों में स्कंध के गुणवत्ता निर्धारण हेतु एक योजना लागू की जा रही है। जिसके तहत मण्डियों में कृषक द्वारा विक्रय हेतु उपलब्ध कराये जा रहे स्कंध की गुणवत्ता (ग्रेडिंग) का निर्धारण सुलभता से कृषकों द्वारा ही कराया जा सके। इस हेतु सभी मण्डियों में ग्रेनएनालाइजर मशीन सर्विस आपरेटर सहित स्थापित की जावेगी। इसे आगे इस दस्तावेज में "ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक" कहा जावेगा। इस ग्रेनएनालाइजर मशीन की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति तभी उचित रूप से होगी जब यह निष्पक्ष रूप से स्कंध का सही ग्रेड एनालाइज कर अवगत कराये। इस हेतु मशीन की स्थापना एवं उसका संचालन तृतीय पक्ष से करवाया जावेगा। जिससे क्रय विक्रय के कार्य में सम्पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। स्वस्थ बाजार निर्मित हो।

भाग – (अ) मण्डी समिति एवं ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक एवं सेवा संचालक

1. ग्रेन एनालाइजर मशीन की स्थापना व सेवा संचालक की अनुबंध अवधि

मण्डी में स्थापित ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक के साथ अनुबंध की अवधि अनुबंध दिनांक से 05 वर्ष की रहेगी, जिसके तहत सेवा संचालक को अपनी मशीन 05 वर्ष तक स्थापित रखते हुये संबंधित सेवायें देना होगी। जिसका विवरण आगे दिया गया है।

2. ग्रेन एनालाइजर मशीन की स्थापना व संबंधित सेवा संचालन की नियुक्ति के उद्देश्य

कृषक द्वारा विक्रय हेतु मण्डी में उपलब्ध कराये गये स्कंध की गुणवत्ता (ग्रेडिंग) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रेन एनालाइजर मशीन की स्थापना एवं उसके संचालन अर्थात् ग्रेन की गुणवत्ता (ग्रेडिंग) करने के कार्य संबंधित सेवा संचालक द्वारा सम्पन्न किया जावेगा। वह उस स्कंध के ग्रेडिंग की रिपोर्ट निर्देशानुसार सर्व संबंधितों को उपलब्ध करायेगा तथा e-NAM पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपलोड भी करेगा। उक्त सेवाओं की पूर्ति सक्षमता पूर्वक हो इस हेतु ग्रेन एनालाइजर मशीन की स्थापना मय ग्रेडिंग कार्य हेतु सेवा संचालक की नियुक्ति की जाना है।

3. ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक का कार्य क्षेत्र

संबंधित मण्डी में कृषक द्वारा विक्रय हेतु उपलब्ध कराये गये स्कंध के लाट का विहित प्रक्रिया अनुसार नमूना सेवा संचालक द्वारा प्राप्त किया जाकर ग्रेन एनालाइजर मशीन से उसका ग्रेड व अन्य विवरण (रिपोर्ट) तैयार करेगा, उसे सर्व संबंधितों को समय सीमा में उपलब्ध करायेगा तथा e-NAM पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपलोड भी करेगा। इस कार्य के लिये समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करेगा। इस कार्य हेतु सेवा संचालक आवश्यक तकनीकी कर्मी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. न्यूनतम अर्हताएँ एवं अनिवार्य दस्तावेज

क्र.	विवरण	क्र0	विवरण
1.	2.	3.	4.
	टेकनीकल बिड में सफल होने के लिये निविदाकार को निम्न अर्हताएँ अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगी।		अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में निम्न सभी अनिवार्य दस्तावेज टेकनीकल बिड में प्रस्तुत करना होगी अन्यथा टेकनीकल बिड निरस्त की जावेगी
	अनिवार्य अर्हताएँ		अनिवार्य दस्तावेज
4.1	अपना परिचय व विवरण उद्घोषित करना होगा	1.	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के परिशिष्ट 01 को पूर्ण भरकर संलग्न करें साथ ही इस निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ (वित्तीय बिड का प्रपत्र-5 छोड़कर) पर हस्ताक्षर कर तकनीकी बिड में प्रस्तुत करेंगे।

क्र.	विवरण	क्र०	विवरण
1.	2.	3.	4.
4.2	निविदाकार के पास स्वयं या फर्म/कंपनी/संस्था के या अनुबंधित न्यूनतम निर्धारित स्पेसीफिकेशन की एक ग्रेन एनालाइजर मशीन होना अनिवार्य है	2.	स्वयं की मशीन होने की दशा में इनवाइस की सत्यापित प्रति संलग्न करना होगी। जिसमें निविदाकार का नाम स्पष्टतः अंकित होना चाहिये किराये पर प्राप्त की गई मशीन हेतु निविदा के परिशिष्ट 02 के निर्धारित प्रपत्र पर रूपये 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का नोटरी द्वारा सत्यापित मूल शपथ पत्र जो कि निविदाकार/फर्म के नाम पर अनुबंध की स्थिति को स्पष्ट करता हो, अनुबंध की स्वयं सत्यापित प्रति के साथ प्रस्तुत करेगा।
4.3	अनुबंधित मशीन का अनुबंध न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि का होना अनिवार्य है। उसकी अवधि मण्डी समिति के साथ अनुबंध की स्थिति के अनुसार बढ़ाना होगी।	3.	अनुबंधित मशीन के मालिक व निविदाकार के बीच अनुबंध पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति जिसमें अनुबंधित मशीन के मालिक द्वारा 05 वर्ष तक मशीन किराये हेतु दिये जाने का वचन हो।
4.4	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराइटर)/ भागीदारी फर्म/सहकारी संस्था/सरकारी संस्था/कम्पनियों/अविभाजित हिन्दु परिवार जो सक्षम प्राधिकार में पंजीकृत हों	4.	यदि निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराइटर)/ भागीदारी फर्म/सहकारी संस्था/सरकारी संस्था कम्पनी के रूप में निविदाकार है तो भागीदारी फर्म या अविभाजित हिन्दु परिवार, कम्पनी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति
4.5	स्वामित्व/भागीदारी फर्म/सहकारी संस्था/सरकारी संस्था कम्पनी/अविभाजित हिन्दु परिवार की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो	5.	भागीदारी फर्म/ सहकारी संस्था/सरकारी संस्था कम्पनी/अविभाजित हिन्दु परिवार की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुख्तयारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामित्व/प्रोपराइटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।
4.6	निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा करने की क्षमता रखता हो	6.	निर्धारित प्रतिभूति राशि (ई.एम.डी.) की बैंक सावधि जमा पावती, मण्डी समिति के नाम पर प्रस्तुत करना होगी।
4.7	आयकर विभाग से आयकर के स्थायी खाताधारक हो	7.	आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति

क्र.	विवरण	क्र	विवरण
1.	2.	3.	4.
4.8	निविदा का शुल्क जमा करने की क्षमता हो	8.	निविदा फार्म क्य किये जाने/बेबसाइट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के मूल्य की रसीद/बैंक ड्राफ्ट
4.9	सेवा संचालक, सेवा प्रदाता का कार्य करेगा अतएव सेवा प्रदाता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग से पंजीकृत होना चाहिये/पंजीयन का कार्य प्रक्रिया में होना चाहिये	9.	सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति या सेवाकर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन की संबंधित विभाग की पावती की स्वप्रमाणित प्रति।
4.10	आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीयसंस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता/अशोधी (Defaulter) नहीं होना चाहिये।	10.	निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट 3 अनुसार) में स्वयं का घोषणा पत्र
4.11	ग्रेन एनालाइजर मशीन निविदा में वर्णित कार्यों की पूर्ति अर्थात् स्पेसिफिकेशन की पूर्ति हेतु सक्षम होना चाहिये। इस बाबत घोषणा व वचन पत्र	11.	निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट क्रमांक 5 जिसमें ग्रेन एनालाइजर मशीन से कार्यों की सक्षमता वर्णित है, को भरकर प्रस्तुत करना है।

5. परिभाषाएँ

- 5.1 शब्द **“अनुबंध”** निविदा का पर्यायवाची है, और अनुबंध से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है, निर्धारित मूल्य के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर निविदाकार व मण्डी समिति के बीच अनुबंध, निविदा आमंत्रण, यह संपूर्ण दस्तावेज निर्धारित निविदा निर्देश, अनुबंध, उसके परिशिष्ट, निविदा की स्वीकृति तथा ऐसी सामान्य और विशेष शर्तें भी समाविष्ट हैं, जो उनमें जोड़ी जावें।
- 5.2 शब्द **“मण्डी समिति”** से अभिप्रेत है म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) अंतर्गत वर्णित मण्डी समिति।
- 5.3 शब्द **“अधिनियम”** शब्द से अभिप्रेत है म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) मय अद्यतन संशोधनों सहित
- 5.4 शब्द **“उपविधि सन 2000”** शब्द से अभिप्रेत है मण्डी समितियों के लिये उपविधि सन् 2000 है। अद्यतन संशोधनों सहित
- 5.5 शब्द **“मण्डी क्षेत्र”** शब्द से अभिप्रेत है जो म0प्र0 शासन कृषि विभाग की अधिसूचना में वर्णित है।
- 5.6 शब्द **“मण्डी प्रांगण”** से अभिप्रेत है म0प्र0 शासन कृषि विभाग की अधिसूचना में वर्णित कृषि उपज मण्डी के प्रमुख मण्डी प्रांगण से है।

- 5.7 “ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक” शब्द से अभिप्रेत है निविदा दस्तावेज में वर्णित ग्रेन एनालाइजर मशीन (जो निर्धारित स्पेसिफिकेशन की हो)की स्थापना करने वाला अनुबंधित व्यक्ति संस्था/निविदाकार या स्थापक तथा उस मशीन से संबंधित सेवा अर्थात् उसका संचालन करना, रिपोर्ट तैयार करना, अपलोड आदि सेवा का संचालन करने वाला व्यक्ति संस्था/निविदाकार या संचालक से है।
निविदा में “सेवा संचालक” शब्द में “ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक” निहित है।
- 5.8 शब्द “क्रेता” से अभिप्रेत ऐसे कृत्यकारी से है जो अधिसूचित कृषि उपज का वाणिज्यिक या प्रसंस्करण के उपयोग के लिये ऑनलाईन क्रय करे।
- 5.9 शब्द “विक्रेता” से अभिप्रेत ऐसे कृत्यकारी से है जो अधिसूचना कृषि उपज का ऑनलाईन विक्रय करे।
- 5.10 शब्द “स्कंध” से अभिप्रेत है वह स्कंध जो संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति में विक्रय हेतु लाई गई अधिसूचित कृषि उपज से है, तथा जिसकी ग्रेडिंग संबंधित मशीन द्वारा संभव है।
- 5.11 शब्द “सचिव” शब्द से अभिप्रेत है संबंधित मण्डी समिति में पदस्थ सचिव या उसके द्वारा नामित अधिकारी से है।
- 5.12 शब्द “अनुमोदित दर” से अभिप्रेत है वह दर या दरें जिसे सक्षम प्राधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।
- 5.13 शब्द “ग्रेडिंग” कार्य से अभिप्रेत है मण्डी में विक्रय हेतु उपलब्ध अधिसूचित कृषि उपज का विहित प्रक्रिया अनुसार नमूना प्राप्त कर गुणवत्ता परीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर संबंधित को उपलब्ध कराने/पोर्टल पर अपलोड कराने का दायित्व सम्मिलित है।
- 5.14 “कदाचरण” से अभिप्रेत है मण्डी समिति द्वारा जारी सूचना/पत्र जानबूझकर प्राप्त नहीं करना/टालना, मण्डी समिति द्वारा जारी आदेश/निर्देश का पालन नहीं करना अथवा जानबूझकर गलत जानकारी प्रस्तुत करना।

6. एक से अधिक मण्डियों हेतु निविदा एवं कार्य आवंटन

e-NAM से संबद्ध प्रत्येक मण्डी समिति में पृथक-पृथक निविदाएँ आहूत की जावेंगी। जिसमें निविदाकार अपनी क्षमता अनुसार एक से अधिक मण्डी की निविदा में भाग ले सकते हैं। लेकिन जिन मण्डियों में उनकी दरें न्यूनतम घोषित होंगी उन मण्डियों में अनुबंध करना होगा तथा कार्य करना होगा। अतः अपनी क्षमता अनुसार ही निविदायें निविदाकार द्वारा प्रस्तुत करना चाहिये। e-NAM से संबद्ध सूची परिशिष्ट-04 में वर्णित है।

7. निविदा फार्म कैसे भरें -

ग्रेन एनालाइजर मशीन की स्थापना एवं सेवा संचालक की नियुक्ति हेतु निविदायें दो पृथक-पृथक बिड के रूप में आहूत की गई हैं।

01. टेकनीकल बिड के रूप में जो लिफाफा क्रमांक-01 में होगी। जिसमें निविदा फार्म व तकनीकी बिड में अनिवार्य रूप से वांछित दस्तावेज मय परिशिष्ट-09 को भरकर प्रस्तुत करना होगा।
02. वित्तीय बिड के रूप में जो लिफाफा क्रमांक-02 में होगी। जो परिशिष्ट क्रमांक-..... में है, दर भरकार हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगी।
03. लिफाफा क्रमांक-03 में उक्त दोनों लिफाफे क्रमांक-01 व क्रमांक-02 डालेंगे।

तीनों लिफाफों के ऊपर जो विवरण अंकित किया जाना है, वह निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट-11, 12, 13 में अंकित है। जिसे लिफाफों पर चिपकाया जावे तथा उसकी जानकारी पूर्ण रूप से भरी जावे। तत्पश्चात लिफाफे प्रस्तुत किये जावें।

7.1 टेक्निकल बिड की प्रस्तुति

निविदा दस्तावेज में से परिशिष्ट-11 जो वित्तीय बिड का प्रपत्र है, को निविदा दस्तावेज से अलग करते हुये, शेष निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा शर्तों की सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर सील सहित लिफाफा क्रमांक-01 में टेक्निकल बिड प्रस्तुत करेंगे।

टेक्निकल बिड में अनिवार्य दस्तावेज जिनका विवरण कण्डिका 04 पर अंकित है, प्रस्तुत करना होंगे। इस हेतु टेक्निकल बिड प्रस्तुति प्रपत्र परिशिष्ट-02 भी देखें। तदनुसार कार्यवाही करें।

7.2 वित्तीय बिड की प्रस्तुति

1. निविदाकार वित्तीय बिड के निर्धारित परिशिष्ट-05 में अपनी निविदा दरें अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व सील लगाकर पृथक लिफाफा क्रमांक-02 में प्रस्तुत करे।
2. वित्तीय बिड में दरें अंकों एवं शब्दों में सुवाच्य, स्पष्ट लिखी जानी चाहिये। दरों में उपरिलेखन एवं कॉट-छॉट नहीं होनी चाहिये। दरों में अंकों व शब्दों में भिन्नता की स्थिति में दोनों दरों में से न्यूनतम दर मान्य की जावेंगी।

उक्त दोनों बिड के लिफाफों को लिफाफा क्रमांक-03 में रखकर सीलबन्द करें। और लिफाफे के ऊपर ग्रेन एनालाइजर मशीन के स्थापक सह सेवा संचालक की नियुक्ति अंकित करते हुये प्रस्तुत करें।

8. निविदा की प्रस्तुति

निविदा **लिफाफा क्रमांक-03** में जिसमें तकनीकी व वित्तीय बिड के लिफाफे हैं, संबंधित निविदा आमंत्रण सूचना में वर्णित स्थान में वर्णित अंतिम तिथि व समय तक प्रस्तुत किये जाने चाहिये। अंतिम तिथि व समय पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार योग्य नहीं होंगी।

9. निविदाकार की संरचना

निविदा प्रस्तुत करते समय निविदाकार यह घोषित करेंगे कि वह पूर्ण स्वामित्व प्राप्त संस्था है या पंजीकृत भागीदारी फर्म/सहकारी संस्था/सरकारी संस्था या निजी मर्यादित कम्पनी या भारत में निर्गमित सार्वजनिक मर्यादित कम्पनी। निविदा में भागीदारी फर्म की संरचना कम्पनी संचालकों के नाम स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। निविदाकार ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करेंगे जिनके हाथों में अनुबंध के दौरान अनुबंध से संबंधित कार्य का नियंत्रण एवं सक्रिय प्रबंध रहेगा। इन व्यक्तियों के नाम अधिकार पत्र, नाम, पता, प्रमाणित हस्ताक्षर एवं छायाचित्र निविदाकार द्वारा मण्डी समिति को प्रस्तुत किये जावेंगे। ऐसे मनोनीत किये गये व्यक्तियों को यह समझा जावेगा कि वे निविदाकार से विधिवत मुख्यतयारनामा प्राप्त हैं और उनके समस्त कार्य आवेदक के लिये बाध्य होंगे।

10. निविदाकार फर्म की स्थिति

निविदाकार अनुबंध की अवधि के दौरान मण्डी समिति की पूर्व अनुमति के बिना निविदाकार फर्म की संरचना में परिवर्तन नहीं करेगा। यदि फर्म की संरचना में अपरिहार्य कारणों से कोई परिवर्तन होता है तो निविदाकार विधिवत मण्डी समिति को अवगत कराया जायेगा तथा मण्डी समिति के शेष अनुबंध चालू रखने/समाप्त करने के संबंध में एक माह में निर्णय लेकर निविदाकार को सूचित किया जावेगा। निविदाकार अपने किसी साझेदार/संचालक की मृत्यु या त्यागपत्र की दशा में मण्डी समिति को तत्काल सूचित करेंगे। यदि फर्म की संरचना में भारतीय अधिनियम 1932 के अंतर्गत परिवर्तन फर्म की शर्तों के अनुसार अनिवार्य हो जाता है, तो ऐसी दशा में ऐसे रजिस्टार आफ फर्म्स एवं सोसायटी म0प्र0 द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तत्काल ऐसे परिवर्तन के सात दिवस के भीतर मण्डी समिति को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति के अनुमति के बिना नये भागीदार को भी शामिल नहीं किया जावेगा। मण्डी समिति द्वारा नये भागीदार को शामिल करने की अनुमति इस लिखित अभिवचन पर दे सकती है, कि निविदाकार उक्त परिवर्तन पश्चात् भी अनुबंध को पूरा करेगा तथा ऐसा वचन देने के पूर्व अनुबंध के अधीन फर्म द्वारा किये गये समस्त दायित्व को वह स्वीकारता है।

अनुबंध के पूर्ण होने के पूर्व निविदाकार के किसी भागीदार की मृत्यु/सेवा निवृत्त होने पर मण्डी समिति अपनी इच्छा से अनुबंध को निरस्त कर सकता है और ऐसी दशा में निविदाकार फर्म को मण्डी समिति के विरुद्ध किसी प्रकार का दावा का अधिकार नहीं होगा।

फर्म से किसी भागीदार के सेवा निवृत्त होने के बावजूद भी यदि अनुबंध समाप्त नहीं किया जाता है, तो उस भागीदार का अनुबंध के अंतर्गत फर्मों के कार्यों के लिये उत्तरदायी होना तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसके द्वारा मण्डी समिति को पंजीकृत डाक से भागीदार अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना की प्रति नहीं भेजी जाती है।

11. निविदा फार्म पर हस्ताक्षर

निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराइटर) होने पर संबंधित व्यक्ति तथा फर्म/हिन्दु संयुक्त परिवार/कम्पनी/सहकारी संस्था/सरकारी संस्था होने पर अधिकृत व्यक्ति ही निविदा पर हस्ताक्षर कर सकेगा। जिसके लिये उन्हें अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा। अधिकार पत्र में उनकी हैसियत स्पष्ट: अंकित होनी चाहिये। प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जावेगी।

क्र.	निविदाकार का स्वरूप	निविदा पर कौन हस्ताक्षर कर सकेगा
1.	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं या उसके मुख्तयारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2.	भागीदारी फर्म	सभी भागीदार या उनका मुख्तयारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3.	कम्पनी	कम्पनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कम्पनी के अन्तर्नियमों की प्रति/अधिकृत किये जाने बाबत बैठक विवरणी भी प्रस्तुत करना होगी)
4.	अविभाजित हिन्दु परिवार	परिवार का कर्ता जिसके नाम मुख्तयारनामा है
5.	सहकारी संस्था	सहकारी संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति
6.	सरकारी संस्था	सरकारी संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति

12. निविदा खोलने की प्रक्रिया

निविदा आमंत्रण सूचना में वर्णित निर्धारित स्थान, दिनांक व समय पर मण्डी समिति द्वारा अधिकृत समिति/प्राधिकारी के द्वारा उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदाकारों के टेक्निकल बिड का लिफाफा क्रमांक 01 खोलकर उसका परीक्षण किया जावेगा और तकनीकी बिड सफल निविदाकारों की घोषणा के पश्चात सफल निविदाकारों की वित्तीय बिड लिफाफा क्रमांक 02 खोला जावेगा। वित्तीय बिड पढ़कर सुनाई जावेगी। टेक्निकल बिड में असफल निविदायें बिना खोले सुरक्षित रख दी जावेगी। निविदायें खोलने के समय स्वयं निविदाकार व उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर उपस्थित हो सकेंगे।

13. निविदा दरों में संशोधन/मुकरना/अनुबंध नहीं करना

निविदाकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व दर संशोधन करता है या अपनी दर से मुकरता है या निर्धारित तिथि तक अनुबंध नहीं करता है तो उस निविदाकार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

1. प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
2. जिस निविदा वर्ष की निविदा में प्रतिभूति राशि राजसात हुई है उससे आगामी 05 वर्ष तक निविदाकार को इस कार्य हेतु प्रदेश की उस मण्डी समिति की निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जावेगा।

14. प्रतिभूति राशि

- 14.1 e-NAM से संबद्ध प्रत्येक मण्डी समिति में पृथक-पृथक निविदाएँ आहूत की जाएंगी। प्रत्येक मण्डी के लिये निविदाकार को पृथक-पृथक निविदा प्रस्तुत करनी होगी। तदनुसार प्रत्येक निविदा फार्म के साथ प्रतिभूति राशि जमा करना होगा। यह राशि 1.00 लाख (रूपये एक लाख) निर्धारित है। जिसे सावधि जमा जो मण्डी समिति के नाम पर देय हो, के रूप में प्रस्तुत करना होगा। प्रतिभूति राशि के अभाव में टेक्निकल बिड निरस्त कर दी जावेगी।
- 14.2 किसी भी अन्य निविदा फार्म के साथ या अन्य कार्य हेतु जमा प्रतिभूति राशि को इस निविदा फार्म के लिये जमा किया जाना नहीं माना जावेगा
- 14.3 प्रतिभूति राशि द्वितीय व तृतीय निविदाकार को छोड़कर असफल निविदाकारों को वापिस कर दी जावेगी। सफल अनुबंधित निविदाकार की प्रतिभूति राशि अनुबंध अवधि तक मण्डी समिति में जमा रहेगी।

15. ग्रेन एनालाइजर मशीन के स्पेसीफिकेशन

निविदाकार को ग्रेन एनालाइजर मशीन उस स्पेसीफिकेशन की स्थापित करना होगी, जिसमें वे सभी सुविधाएँ उपलब्ध हों, जिनका विवरण परिशिष्ट 05 में दिया गया है। निविदाकार को यह भी स्पष्ट कर लिखित में अवगत कराना होगा, कि उनके द्वारा स्थापित की जाने वाली ग्रेन एनालाइजर मशीन वांछित कार्यों की पूर्ति हेतु पूर्णतः सक्षम है। इस हेतु परिशिष्ट 05 में बताये अनुसार फार्मेट में प्रत्येक कालम में हॉ या नहीं लिखकर अवगत कराना होगा। यदि कालम रिक्त पाया जाता है तो उसे यह माना जावेगा कि वह मानक (फीचर) मशीन में नहीं है। टेक्निकल बिड में वांछित फार्मेट पर जानकारी संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। यदि यह टेक्निकल बिड में प्रस्तुत नहीं होगा तो, बिड निरस्त कर दी जावेगी। निविदाकार को स्थापित की जाने वाली मशीन का मेक, ब्राण्ड व अन्य स्पेसिफिकेशन, माडल आदि यथा स्थान अवगत कराना होगा।

16. मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली व्यवस्थाएँ/मण्डी समिति का दायित्व

- 16.1 ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक को मशीन स्थापना के लिये उपयुक्त स्थान मण्डी समिति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा। मशीन संचालन के लिये आवश्यक बैठक व्यवस्था/फर्नीचर आदि की व्यवस्था स्वयं सेवा संचालक को करना होगी।
- 16.2 मशीन संचालन के लिये विद्युत कनेक्शन मीटर अथवा सबमीटर सहित मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये सबमीटर का प्रतिमाह विद्युत व्यय का भुगतान सेवा संचालक द्वारा मण्डी समिति को समयवधि में करना होगा। नवीन कनेक्शन का पृथक मीटर होने पर प्रतिमाह विद्युत व्यय का भार विद्युत कार्यालय में सेवा संचालक को जमा कराना होगा तथा विद्युत कनेक्शन बनाये रखने के लिये व सभी कार्य, उत्तरदायित्व निभाने होंगे जिससे ग्रेडिंग कार्य में कोई व्यवधान न आवे।

17. निविदा की दर

- 17.1 ग्रेन एनालाइजर की स्थापना ग्रेन एनालाइजर स्थापक सह सेवा संचालक को स्वयं के व्यय पर करना होगी। स्थापना करके उससे संबंधित सेवाओं जिसमें मशीन का मेन्टेनेन्स आदि करते हुए उपलब्ध कराये गये ग्रेन का नमूना एकत्रित करना, उसकी ग्रेडिंग करना और निर्देशानुसार रिपोर्ट तैयार करना एवं सर्व संबंधितों को रिपोर्ट देने की व्यवस्था करना तथा ई-नेम पोर्टल पर व दस्तावेज में बताये सेवाओं व कार्यों सहित आमंत्रित की गई हैं। अतः तदनुसार दरें भरी जावें।
- 17.2 दर प्रति एसेइंग की दी जाना होगी जो वित्तीय बिड के निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 11 में भरकर तथा हस्ताक्षरित कर वित्तीय बिड के लिफाफा क्रमांक 2 में रखकर सीलबंद कर प्रस्तुत की जाना है।
- 17.3 निविदा की दर समस्त करों, समस्त शुल्कों (GST सहित) भरी जाना चाहिये। स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई भी राशि निविदाकार को भुगतान नहीं की जावेगी।
- 17.4 स्वीकृत दर में कर, कर्मियों के वेतन आदि दरों में परिवर्तन होने पर कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

18. ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक से अनुबंध के उद्देश्य

ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक अनुबंध के अधीन सचिव कृषि उपज मण्डी के आदेशानुसार/अधीन कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त सहायता/आकस्मिक कर्त्तव्य/सेवायें एवं संचालन जो इन नियमों व शर्तों में असंगत नहीं होगा, सचिव मण्डी समिति के आदेशानुसार कार्य संपादित करेगा। अनुबंध का प्रारूप परिशिष्ट क्रमांक-10 पर है, जिसके अनुबंध संपादित किया जाना होगा।

19. प्रथम न्यूनतम दर, व न्यूनतम निविदाकार का निर्धारण

प्रत्येक मण्डी में न्यूनतम निविदाकार वह होगा जिसकी दरें मण्डी हेतु वांछित स्पेसीफिकेशन की ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापित करने, ग्रेडिंग कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु न्यूनतम दर पायी जावेगी। न्यूनतम निविदाकार को न्यूनतम दरों पर कार्य हेतु सहमत होना होगा। उसके सहमत नहीं होने की दशा में प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी व उसे आगामी 05 वर्ष तक के लिये संबंधित मण्डी की इस कार्य हेतु निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जावेगा। यदि न्यूनतम निविदाकार सहमत नहीं होता है तो द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को प्रथम न्यूनतम दर का आफर दिया जावेगा। उसके सहमत नहीं होने पर न्यूनता के क्रम से तृतीय निविदाकार को प्रथम न्यूनतम दर का आफर दिया जा सकेगा।

20. अनुबंध के पक्षकार

अनुबंध के पक्षकार ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक एवं सचिव कृषि उपज मण्डी समिति होंगे। अनुबंध पर स्वयं ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक या जिसे विधिक रूप से मुख्तयारनामा देकर अधिकृत किया गया है, अनुबंध निष्पादित करेगा। ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक को मुख्तयारनामा की मूल प्रति अनुबंध के समय मण्डी समिति में जमा करना अनिवार्य होगा।

21. अनुबंध की अवधि

अनुबंध की अवधि ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक के लिये अनुबंध दिनांक से 05 वर्ष के लिये होगी। अपरिहार्य कारणों से अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है।

22. कार्य की मात्रा

कृषि उपज मण्डी में विक्रय हेतु उपलब्ध कराये गये स्कंध की ग्रेडिंग सामान्यतः कराई जायेगी। लेकिन ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक को कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा कार्य की मात्रा की कोई गारंटी नहीं दी जावेगी। ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक को स्वमेव सेवा के अवसर खोजने होंगे और उनके द्वारा दी जा रही बेहतर सेवाओं के प्रतिफल में ही अवसर प्राप्त होते रहेंगे। इस संबंध में ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक को परामर्श दिया जाता है, कि वे अपनी सेवाओं का स्तर उत्कृष्ट रखें।

23. ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक की अधिकतम संख्या

ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक की संख्या प्रति मण्डी 01 रहेगी। अत्यंत आवश्यकता पर यह संख्या बढ़ाने का अधिकार मण्डी समिति के पास रहेगा।

24. ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक को कार्यादेश जारी करना एवं उसका क्रियान्वयन

ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक से अनुबंध निष्पादित होने के पश्चात सचिव कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा ग्रेन एनालाइजर मशीन से ग्रेडिंग व रिपोर्टिंग के संबंध में कार्यादेश जारी किया जावेगा। जिसका क्रियान्वयन समयावधि में किये जाने का दायित्व ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक का रहेगा।

25. कार्यादेश की प्राप्ति

ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक को मण्डी सचिव द्वारा कार्यादेश उनके अनुबंध किये जाने के उपरांत जारी किया जावेगा। जिसे सेवा संचालक को स्वीकार करना होगा। मण्डी सचिव द्वारा कार्यादेश की तामीली किसी भी प्रकार से संभव नहीं होने पर सेवा संचालक के घोषित कार्यालय भवन पर 02 साक्षियों के समक्ष चस्पा कर की जावेगी। जिसे तामीली माना जावेगा। साथ ही उन्हें ई-मेल से कार्यादेश जारी किया जावेगा, जो तामीली हुआ मान्य होगा।

26. ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक का स्थानीय कार्यालय

ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक द्वारा प्रस्तुत किये मुख्य कार्यालय एवं शाखाओं के पते के सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि पता में कोई परिवर्तन होता है तो सेवा प्रदाता द्वारा उसकी सूचना तीन दिवस में मण्डी समिति को देनी होगी।

27. ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि

ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक स्वयं मण्डी समिति में उपस्थित होकर स्वयं कार्य संपादित करेंगे या उसके द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त करने पर विधिवत पावर आफ अटार्नी, जो नोटरी से सत्यापित हो मूलरूप से प्रस्तुत करेंगे। तदनुसार ही वह मण्डी सचिव के निर्देश पर कार्य हेतु अधिकृत होगा।

28. तकनीकी कर्मचारियों की पर्याप्तता व कुशल क्रियान्वयन

ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक मण्डी में प्राप्त अधिसूचित कृषि उपज के नमूना प्राप्त कर उसकी ग्रेडिंग कर रिपोर्ट समयावधि में किये जाने के लिये बाध्य है। अतएव उसे कुशल तकनीकी कर्मचारी पर्याप्त रूप से रखना होंगे। जिससे कुशल क्रियान्वयन हो सके।

संबंधित ग्रेनएनालाइजर मशीन स्थापक व सेवा संचालक के पास उपयुक्त तकनीकी कर्मी केमिस्ट/एनालिस्ट जो विज्ञान विषय में रसायन स्नातक हो, हो चाहिये। ऐसे केमिस्ट/एनालिस्ट रीजनल एगमार्क लेबोरटरी से ग्रेडिंग कार्य बाबत ट्रेनिंग प्राप्त होना चाहिये। समय-समय पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती रहना चाहिये। आशय यह है कि एसेइंग का कार्य उपयुक्त तकनीक निर्बाध व पूर्ण दक्षता के साथ संपादित हो।

29. मण्डी समिति का ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक पर नियंत्रण

ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक संबंधित मण्डी समिति के नियंत्रणाधीन रहेंगे। अनुबंध तथा मण्डी अधिनियम एवं उपविधि के उपबंधों के अनुरूप ही कार्य सुनिश्चित करेंगे।

30. कार्य दिवस एवं समय का निर्धारण

ग्रेनएनालाइजर मशीन संचालन का समय मण्डी समिति द्वारा निर्धारित किया जावेगा। निर्धारित समयानुसार निविदाकार द्वारा ग्रेनएनालाइजर मशीन का संचालन करना होगा। साथ ही मण्डी समिति की अनुमति के बिना निविदाकार द्वारा अवकाश नहीं रखा जावेगा।

31. मण्डी में स्कंध के नमूना लेने की विधि

अधिसूचित कृषि उपज की मण्डी में आवक होने पर उसका लाट निर्धारित होते ही ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक उस लाट का नमूना विहित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त करेगा। नमूना प्राप्त करने के पूर्व कृषक को भी सूचित करना होगा। नमूना प्राप्ति में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं होने पर/प्रक्रिया में संदेह प्रतिपादित होने पर सेवा संचालक के व्यय पर पुनः नमूना लिया जाकर निःशुल्क ग्रेडिंग करना होगा। इसका व्यय भार मण्डी समिति या कृषक द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।

32. समयावधि में कार्य नहीं होने पर शास्ति का प्रावधान

ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक को समयावधि में कार्य करना अनिवार्य है। विलम्ब होने पर निम्नानुसार शास्ति अधिरोपित की जावेगी।

1. नमूना प्राप्ति से 02 घण्टे के भीतर रिपोर्ट पर कोई शास्ति नहीं।
2. नमूना प्राप्ति से 04 घण्टे के भीतर रिपोर्ट पर रूपये 2.00 (दो रूपये)
3. नामूना प्राप्ति से 06 घण्टे के भीतर रिपोर्ट पर रूपये 5.00 (पांच रूपये)

33. ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक द्वारा कार्य नहीं करने पर वैकल्पिक व्यवस्था

- 33.1 ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक द्वारा अपेक्षित रूप से कार्य नहीं करने की स्थिति में प्रथम न्यूनतम दर पर ही द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को 03 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन करने के लिये आमंत्रण दिया जावेगा। तदनुसार उससे अनुबंध निष्पादित कराया जावेगा व प्रक्रिया अनुसार कार्य के लिये कार्यादेश मण्डी सचिव द्वारा जारी किया जावेगा।
- 33.2 द्वितीय न्यूनतम निविदाकार द्वारा उक्तानुसार प्रस्ताव पर सहमत नहीं होने की दशा में न्यूनतम के क्रमानुसार निविदाकारों को यथा तृतीय चतुर्थ आदि को प्रथम न्यूनतम दर पर अनुबंध निष्पादित किये जाने का आमंत्रण दिया जावेगा।
इस हेतु मण्डी समिति आश्यकतानुसार पहल कर सकेगी व तदनुसार अनुबंध निष्पादित कराया जावेगा व प्रक्रिया अनुसार मण्डी सचिव द्वारा कार्यादेश जारी किया जावेगा।
- 33.3 उपरोक्त व्यवस्था अनुसार कार्य नहीं होने पर प्रथम न्यूनतम निविदाकार की रिस्क एण्ड कास्ट पर द्वितीय न्यूनतम प्राप्त दर पर द्वितीय निविदाकार से कार्य कराया जा सकेगा। यह कार्य प्रथम न्यूनतम निविदाकार की जमा प्रतिभूति राशि की समाप्ति तक ही सीमित रहेगा।

34. मण्डी समिति को ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक की सेवा में चूक से हुई हानि के लिये उत्तरदायित्व देयताएं, क्षतिपूर्ति

सेवा संचालक द्वारा कार्य की उपेक्षा, सेवाओं में अकुशलता, किसी भी शर्त का उल्लंघन करने के कारण मण्डी समिति को हुई किसी क्षति, हानि, अतिरिक्त प्रभार, लागत आदि आने पर सेवा संचालक की प्रतिभूति से व अन्य देय राशियों से वसूली की जावेगी। यदि मण्डी समिति द्वारा व्यय की गई कुल राशि की पूर्ति के लिये उपलब्ध राशि अपर्याप्त रहती है व शेष राशि मण्डी समिति द्वारा मांगे जाने पर सेवा संचालक देने हेतु बाध्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मण्डी समिति इस अनुबंध को समाप्त कर सकेगी। साथ ही प्रतिभूति राशि राजसात करेगी व आगामी 10 वर्ष के लिये इस कार्य के लिये प्रदेश की किसी भी मण्डी की निविदा में भाग लेने हेतु सेवा संचालक को प्रतिबंधित किया जावेगा। कानूनी कार्यवाही कर वसूली योग्य राशि सेवा संचालक से वसूली की जावेगी।

35. अयोग्यताएं

- 35.1 सेवा संचालक द्वारा सचिव द्वारा दिये गये कार्यादेशानुसार कार्य में निराशाजनक / टालम टोल प्रदर्शन को उसके कार्य हेतु अयोग्यता मानी जावेगी।
- 35.2 सेवा संचालक द्वारा जानबूझकर अनुबंध विरुद्ध कार्य करने ग्रेडिंग में विलम्ब, त्रुटिपूर्ण, कपटपूर्ण कार्य व आचरण करने पर उसके विरुद्ध मण्डी समिति जमा प्रतिभूति राशि राजसात करेगी व उसे काली सूची में दर्ज करे जो इस कार्य हेतु किसी भी मण्डी समिति की निविदाओं में भाग लेने हेतु 10 वर्षों तक के लिये अनुपयुक्त/अयोग्य घोषित करेगी। काली सूची में दर्ज होने पर प्रदेश की समस्त मण्डी समितियों के साथ इस कार्य से संबंधित समस्त अनुबंध निरस्त हो जावेंगे व जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

- 35.3 सेवा संचालक या उससे संबंधित प्रतिनिधि द्वारा मण्डी समिति की सर्वोच्च क्षवि व हितों के लिये कार्य नहीं किया जा रहा है, तो मण्डी सचिव द्वारा उसी समय अनुबंध में वर्णित कार्य के लिये अयोग्य घोषित करते हुये अनुबंध समाप्त कर सकेगा।
- 35.4 सेवा संचालक द्वारा असत्य, छलपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रतिवेदन/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं व अनुबंध के नियम, निर्देश, शर्त का उल्लंघन किया है तो अनुबंध समाप्त करने एवं अनुबंध की शेष अवधि के लिये सेवा संचालक की जोखिम एवं खर्च पर मण्डी सचिव द्वारा कार्य कराया जा सकेगा। तथा मण्डी सचिव को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रहेगा।
- 35.5 सशर्त निविदा विचार योग्य नहीं होगी।

36. भुगतान

- 36.1 ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक को प्रत्येक माह (जो अंग्रेजी माह की प्रथम दिनांक से प्रारंभ होगा) देयक निर्धारित प्रारूप में समस्त विवरण, वांछित संलग्नों सहित मण्डी समिति कार्यालय में आगामी माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। अपूर्ण बिलों के भुगतान व विलम्ब के लिये मण्डी सचिव का उत्तरदायित्व नहीं होगा। अतएव बिल की प्रस्तुति सदैव निर्देशानुसार किया जाना आवश्यक है। देयकों को माह समाप्ति के बाद अधिकतम दो माह की सीमा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। इस अवधि के पश्चात भुगतान के लिये आंचलिक कार्यालय की अनुमति आवश्यक होगी।
- 36.2 प्रस्तुत देयकों का नियमानुसार परीक्षण कर 100 प्रतिशत राशि का भुगतान मण्डी सचिव द्वारा देयक प्राप्ति से 10 कार्यदिवस में किया जावेगा। अपरिहार्य कारणों से यदि इस समय सीमा में भुगतान संभव नहीं होता है तो अधिकतम 90 प्रतिशत भुगतान सेवा संचालक को किया जा सकेगा।
- 36.3 मण्डी समिति द्वारा कार्य की दरें, समस्त कर एवं शुल्क GST सहित आमंत्रित की गई हैं। अतएव ऐसी स्थिति में समस्त कर, शुल्क संबंधित विभाग में जमा कराने का दायित्व सेवा संचालक का होगा।
- 36.4 मण्डी समिति पर अनुबंध पश्चात अन्य या कोई कर या शुल्क प्रभावी होता है व मण्डी समिति की देयता बनती है, तो उसकी वसूली भी सेवा संचालक से की जावेगी।
- 36.5 निविदाकार द्वारा कृषक की लाई गई कृषि उपज की गुणवत्ता परीक्षण (प्रति असेइंग) का रिकार्ड संधारित करना होगा। प्रति असेइंग रिपोर्ट का e-NAM पोर्टल पर अपलोड की गई रिपोर्ट से मिलान कर मण्डी समिति द्वारा भुगतान किया जावेगा।
- 36.6 कृषक द्वारा लाई गई कृषि उपज की गुणवत्ता परीक्षण (प्रति असेइंग) रिपोर्ट की दर मण्डी समिति द्वारा निर्धारित की जावेगी। जिसका भुगतान मण्डी समिति द्वारा किया जावेगा। अन्य किसी व्यक्ति अथवा व्यापारी द्वारा कृषि उपज की गुणवत्ता परीक्षण (प्रति असेइंग) कराये जाने पर असेइंग का भुगतान संबंधित द्वारा किया जावेगा।

37. ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक का व्यवहार व आचरण

ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक का व्यवहार व आचरण पूर्ण रूप से मर्यादित होकर मण्डी अधिनियम एवं उपविधियों के अनुरूप होगा।

38. सरसरी तौर पर समापन

यदि एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक को दिवालिया निर्मित किया जाता है या वह अपना व्यापार परिसमाप्त या बंद करते हैं या अपने लेनदारों से कोई व्यवस्था करते हैं या इस अनुबंध की किसी शर्त को शासित करने वाली किसी शर्त एवं निबंधनों का पालन करने में विफल रहते हैं तो मण्डी समिति को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अनुबंध के अंतर्गत उपचारों या कानून के अंतर्गत किसी भी अन्य अधिकार को बिना प्रभावित किये हुये अनुबंध को तत्काल समाप्त कर दे तथा सेवा संचालक की शेष अवधि के लिये कार्य उनकी जोखिम एवं लागत पर करवायें। इसके परिणामस्वरूप कोई हानि या किये गये खर्च/लागत को सेवा संचालक से मांगे। इस बाबत मण्डी समिति का निर्णय सेवा संचालक के लिये बंधनकारी होगा। भागीदारी फर्म की स्थिति में भागीदारी अधिनियम के अधीन गठित भागीदारी फर्म के भंग हो जाने की स्थिति में मण्डी समिति देय राशि का निपटारा सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार करेगी।

39. मुजरा (सेटआफ)

इस अनुबंध के अंतर्गत एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक को भुगतान/वापसी योग्य राशि प्रतिभूति राशि आदि मण्डी समिति द्वारा समायोजित की जा सकेगी। तथा इस अनुबंध के अंतर्गत, मण्डी समिति के साथ अन्य कार्य के लिये अनुबंध में देय किसी भी राशि को भुगतान के विरुद्ध किसी भी दावे को मुजरा (सेटआफ) किया जा सकेगा।

40. लेखा बही निरीक्षण

एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक को जब, कभी भी मण्डी समिति या उसकी ओर से अधिकृत अधिकारी द्वारा वांछित लेखा बहियों आदि मांग की जावेगी, लेखे या अन्य लेखा पुस्तिका, निर्धारित पंजी आदि की प्रति या उसके सारांश को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

41. विविध

- 41.1. एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में करने वाले इच्छुक एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक को संबंधित मण्डी समितियों की पृथक-पृथक निविदा में भाग लेना होगा।
- 41.2. एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक को मण्डी अधिनियम की धाराओं तथा किसी भी नियम निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में मण्डी अधिनियम की धारा 48 एवं 49 के अंतर्गत दण्ड/जुर्माने/शास्ति का भागीदार रहेगा।
- 41.3. सेवा संचालक मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराये स्थान पर निर्दिष्ट कार्य के अलावा अन्य कोई कार्य/व्यवसाय नहीं करेगा।
- 41.4. अपूर्ण, सशर्त निविदायें विचार योग्य नहीं होंगी।
- 41.5. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये/पूर्ण/आंशिक/मान्य/अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड या उनके प्रतिनिधि या मण्डी समिति को रहेगा।
- 41.6. निविदा खुलने के पश्चात् निविदाकारों द्वारा दर, शर्त संबंधी कोई आवेदन विचार योग्य नहीं होगा।
- 41.7. निविदा की प्रस्तुत दरें, निविदा खुलने की दिनांक में स्वीकृति हेतु 120 दिवस तक वैध रहेंगी। जो अनुबंध होने की स्थिति में अनुबंध पर्यन्त वैध रहेंगी।

- 41.8 निविदा सूचना, इस निविदा दस्तावेज की समस्त शर्तें, निर्देश, उपबंध, अनुबंध का भाग होंगी व इस दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर स्वीकृति स्वरूप निविदाकार को हस्ताक्षर करना होंगे।

42. विवादों का निराकरण

निविदाकार एवं मण्डी समिति के साथ विवाद होने पर प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य होगा।

भाग – ब – ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक एवं कृषक के बीच संव्यवहार/संबंध

43 कृषि उपज के नमूने की प्राप्ति व उसकी ग्रेडिंग

- 43.1 मण्डी समिति द्वारा कृषक को अधिसूचित कृषि उपज की ग्रेडिंग कराने के लिये लाट वाइस टोकन जारी किये जावेंगे। जिसके आधार पर ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि पूर्ण ईमानदारी व पारदर्शिता से उस कृषि उपज का परीक्षण कर, ग्रेडिंग करेंगे।
- 43.2 कृषक द्वारा उपलब्ध कराये गये स्कंध का ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार नमूना लिया जावेगा।
- 43.3 ग्रेडिंग पश्चात सेवा संचालक सर्व संबंधितों के साथ-साथ प्रतिवेदन कृषक हेतु व सर्व संबंधितों के लिये e-NAM पोर्टल पर यथा निर्देशित स्थान पर अपलोड करेगा।

44. ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक एवं कृषक के बीच विवाद की स्थिति

कृषक अथवा अन्य व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर इसके समाधान हेतु मण्डी समिति का निर्णय मान्य होगा।

कृषि उपज मण्डी समिति जिला
हेतु

निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण –

प्रेषक (निविदाकार का नाम एवं पूर्ण स्थायी पता तथा कार्यालय का पता)

प्रति,

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
जिला

विषय :- ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक की नियुक्ति हेतु निविदा।

1.	निविदाकर्ता फर्म का नाम व पूरा पता मय दूरभाष/मोबाइल नंबर मय मेल आई.डी.	नाम पूर्ण पता 1 कार्यालय..... निवास दूरभाष/मोबाइल नंबर ई-मेल आई.डी. फैक्स नंबर
2	निविदाकार का स्वरूप निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराइटर) /भागीदारी फर्म/सहकारी संस्था /सरकारी संघ/कम्पनियों/अविभाजित हिन्दु परिवार जो सक्षम प्राधिकार में पंजीकृत हों	
3.	एकल स्वामी का नाम पिता का नाम फर्म की स्थिति में भागीदारों के नाम पिता के नाम सहित व पता कम्पनी अधिकृत व्यक्ति का नाम व पता अविभाजित हिन्दु परिवार के कर्ता का नाम व पता	
4.	मशीन का स्वामित्व किसके नाम है	

5.	मशीन किराये की स्थिति में निविदाकार का मशीन मालिक से अनुबंध किया है। हॉ या नहीं। हॉ की स्थिति में अनुबंध की प्रति संलग्न करें।	
6.	मशीन का विवरण, स्पेसिफिकेशन	
7.	निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम/पद/हैसियत क्या पावर आफ अटार्नी/अधिकार पत्र है	
8.	निर्धारित अमानत राशि ईएमडी का सावधि जमा पावती (FDR) बैंक का नाम (FDR) क्रमांक/दिनांक किस दिनांक तक है	

1. यदि मण्डी समिति द्वारा हमें/मुझे उपरोक्त कार्य सौंपा जाता है तो मैं/हम निर्धारित अवधि में समस्त दस्तावेज जमा करके अनुबंध करने के लिये पूर्णतः सहमत हूँ/हैं।
2. मैं/हम यह शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि मुझे/हमें किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय एजेन्सी ने निविदा प्रस्तुति के दिनांक तक काली सूची में दर्ज नहीं किया है।
3. मैंने/हमने निविदा दस्तावेज तथा संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियों मेरे/हमारे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही हैं। इसके लिये मैं/हम पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा/रहेंगे।
4. यदि निविदा दस्तावेज में, मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी/प्रमाणन/शपथ पत्र आदि में कोई असत्यता/त्रुटि पाई जाती है तो मेरी/हमारी निविदा/अनुबंध निरस्ती योग्य होगा।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

पूरा नाम

फर्म/संस्था का नाम

पता

एवं सील

हैसियत

शपथ पत्र

1. मैं, नाम फर्म का अधिकृत प्रतिनिधि शपथ पूर्वक निम्न कथन करता हूँ।

2. मैं/मेरी संस्था कृषि उपज मण्डी की निविदा सूचना के अधीन ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक की निविदा में भाग ले रहे हैं। मैं शपथ पूर्वक घोषित करता हूँ कि निविदा शर्तों के अधीन मेरे द्वारा एक ग्रेन एनालाइजर मशीन को किराये पर लेने के लिये मेसर्स से अनुबंध किया है, जिसके अनुसार यह मशीन उनके द्वारा मुझे आमागी 05 वर्षों तक किराये पर दिये जाने हेतु सहमति दी है, इस आशय का उक्त मशीन मालिक से किये गये अनुबंध की स्व प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

पूरा नाम

फर्म/संस्था का नाम

पता

एवं सील

हैसियत

मैं, नाम पिता का नाम निवासी मेरे ज्ञान के अनुसार उक्त पैरा 01 व 02 सही व सत्य हैं।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

पूरा नाम

पता

एवं सील

कृषि उपज मण्डी समिति जिला
हेतु घोषणा पत्र

प्रति,

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
जिला

विषय :- ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक की नियुक्ति हेतु निविदा।

—00—

ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक की नियुक्ति हेतु घोषणा पत्र

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करते हैं कि मेरी/हमारी निविदाकार फर्म को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक द्वारा चूककर्ता/अशोधी (Defaulter) घोषित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

पूरा नाम
फर्म/संस्था का नाम
पता
एवं सील
हैसियत

मध्यप्रदेश में e-NAM से सम्बद्ध मण्डियों की सूची

क्र.	जिले का नाम	मण्डी का नाम	क्र.	जिले का नाम	मण्डी का नाम
1.	भोपाल	करोंद (भोपाल)	30.	रतलाम	रतलाम
2.		बैरसिया	31.		जावरा
3.	सीहोर	सीहोर	32.	मन्दसौर	मन्दसौर
4.		आष्टा	33.	नीमच	नीमच
5.	विदिशा	विदिशा	34.	शाजापुर	शाजापुर
6.		गंजबासौदा	35.		शुजालपुर
7.	बैतूल	बैतूल	36.	आगर मालवा	आगर
8.	हरदा	हरदा	37.	अशोक नगर	अशोकनगर
9.		टिमरनी	38.	ग्वालियर	डबरा
10.		खिरकिया	39.	गुना	गुना
11.	होशंगाबाद	पिपरिया	40.	दतिया	दतिया
12.		इटारसी	41.	मुरैना	मुरैना
13.	रायसेन	बरेली	42.	श्योंपुर	श्योंपुर
14.		औबेदुल्लागंज	43.	सागर	सागर
15.	राजगढ़	ब्यावरा	44.		बीना
16.	इन्दौर	इन्दौर	45.	दमोह	दमोह
17.		सांवेर	46.	टीकमगढ़	टीकमगढ़
18.		महू	47.	छतरपुर	छतरपुर
19.	धार	धार	48.	जबलपुर	जबलपुर
20.		बदनावर	49.		सिहोरा
21.	खरगोन	खरगोन	50.		शहपुरा भिटोनी
22.	खण्डवा	खण्डवा	51.	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा
23.	बुरहापुर	बुरहानपुर	52.	कटनी	कटनी
24.	बड़वानी	सेंधवा	53.	बालाघाट	बालाघाट
25.	उज्जैन	उज्जैन	54.	मण्डला	मण्डला
26.		बड़नगर	55.	सिवनी	सिवनी
27.		महिदपुर	56.	नरसिंहपुर	गाडरवारा
28.	देवास	देवास	57.	रीवा	रीवा
29.		खातेगाँव	58.	सतना	सतना

COMPLIANCE FOR TECHNICAL SPECIFICATION STATEMENT

Sr. No.	Asked Technical Specification (Annexure-F)	Yes/No
1	Near Infrared Transmittance analyzer for straight determination of moisture,oil,protein ,starch , gluten etc. in grains . Oilseeds and pulses like maize, wheat mustard ,soya bean , pulses, groundnut etc. in whole seed form without grinding of sample	
2	Instrument should be rugged, dust and waterproof, vibration tolerant with automatic data recording system.	
3	The optical system should contain scanning, grating, monochromatic 570-1100nm. Monochromator should be single block monochromatic. Documentary proof shall be provided	
4	System to divide the sample into sub sample automatically. Machine should have facility of setting sub scans up to 20 for better analysis. Machine should be demonstrated on 15-20 sub samples.	
5	The instrument to be supported by built in multigrain cell.	
6	Total analysis time should be less than 90 second for 20 sub scans of sample. For sub samples analysis time should be approx. 30 seconds	
7	system should be able to handle artificial neural network , partial least square, honing regression calibration	
8	For 20 sub samples. Sample quantity should not be more than 500 ml	
9	Data points: >250 Measurement technique:Transmittance , sample presentation : flow through sample system . Number of sub sample should be 20 for better analysis. Self test.,callibration transferability : Yes , result presentation : locally on screen and printer as well as on local or central computer or network outlier Detector : Yes	
10	Optical Bandwidth : 7 nm	
11	Detector: Silicon	
12	Communications : USB, LAN cable, Printer	
13	Machine should be independent of variation due to sample temperature for accuracy	
14	Light source tungsten halogen lamp	
15	Current 0.5A	
16	Should have variable cell automatically controlled for different grain path length	
17	Capacity to do high moisture sample	
18	Remote control for automatic analysis	
19	Easy transfer of results to LIMS	
20	Instrument should be compatible with all kinds of printers (Thermal,Laser,Inkjet)	
21	Machine should have Active 6-Peak Wavelength scale monitoring. Wavelength scale calibration should be traceable to NIST standards	
22	Instrument to have a color touch screen display for easy operation with 12 inch or bigger Display for easy operation	
23	Officials Approvals: Machine should be approved by various grain testing approvals like BEV 3904/2013, NMI 15/1/5, TCM 341/14-5203, LNE-27380, PTB 11.26/13.01, 393-7/0-01-906, NTEP CC No. 13-112	
24	Instrument should have in built computer and no external computer should be required with the instrument. Instrument should work in standalone mode. Instrument should also have on-board windows operating system in inbuilt computer.	

25	Type of sample: whole grain only. No grinding should be required.	
26	Machine should be upgradable to measure hectoliter weight.	
27	Machine should be upgradable to measure flour and semisolid/liquid samples.	
28	Cleaning : Should have auto cleaning system.	
29	Remote support: Machine should be able to be taken control remotely for calibration surveillance and software through team viewer for 24/7 real time maintenance of the instrument without the need of any external PC.	
30	Remote results: The results should be available through tablets and graphs through a web based interface and no external PC shall be required for transporting results .	

मशीन जो स्थापित की जायेगी उसका विवरण निम्नानुसार है –

निर्माता का नाम

क्षमता

माडल नम्बर

NOTE :

1. Machine may be called for demonstration if the committee is not satisfied with the comments given by the supplier.
2. Please highlight the above claims on uploaded catalogue or provide clear documentary proof else bid may be rejected. Provide part number and pictures of parts wherever asked.

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

पूरा नाम

फर्म / संस्था का नाम

पता

एवं सील

हैसियत

लिफाफा क्रमांक – 01

टेक्निकल बिड

ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक

प्रति

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
जिला

प्रेषक
निविदाकार का नाम
फर्म का नाम
पता

परिशिष्ट – 07

लिफाफा क्रमांक – 02

वित्तीय बिड

ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक

प्रति

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
जिला

प्रेषक
निविदाकार का नाम
फर्म का नाम
पता

परिशिष्ट – 08

लिफाफा क्रमांक – 03

तकनीकी वित्तीय बिड

ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक

प्रति

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
जिला

प्रेषक
निविदाकार का नाम
फर्म का नाम
पता

कृषि उपज मण्डी समिति जिला

हेतु टेक्निकल बिड

प्रति,

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति

जिला

विषय :- ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक की नियुक्ति हेतु निविदा।

—00—

मेरे/हमारे द्वारा टेक्निकल बिड लिफाफा क्रमांक 01 में निविदा फार्म के साथ अनिवार्य संलग्न व प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज/सहपत्र स्वप्रमाणित किये जाकर निम्नानुसार संलग्न है। मुझे/हमें ज्ञात है कि इनमें से किसी भी दस्तावेज के अभाव में मेरी/हमारी निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।

क्र	विवरण	संलग्न है	संलग्न नहीं है	संलग्न क्रमांक
1	2	3	4	5
1	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु यह परिशिष्ट 2 को पूर्ण भरकर संलग्न करें साथ ही इस निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ (वित्तीय बिड का प्रपत्र-5 छोड़कर) पर हस्ताक्षर कर तकनीकी बिड में प्रस्तुत करेंगे।			
2	स्वयं की मशीन होने की दशा में इनवाइस की सत्यापित प्रति संलग्न करना होगी। जिसमें निविदाकार का नाम स्पष्टतः अंकित होना चाहिये किराये पर प्राप्त की गई मशीन हेतु निविदा के परिशिष्ट क्रमांक के निर्धारित प्रपत्र पर रूपये 100.00 के नाज ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का नोटरी द्वारा सत्यापित मूल शपथ पत्र जो कि निविदाकार/फर्म के नाम पर अनुबंध की स्थिति को स्पष्ट करता हो, अनुबंध की स्वयं सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत है।			
3.	अनुबंधित मशीन के निविदाकार के बीच अनुबंध पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति जिसमें अनुबंधित मशीन के मालिक द्वारा 05 वर्ष तक मशीन किराये हेतु दिये जाने का वचन हो।			

4.	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराइटर)/ भागीदारी फर्म/कम्पनी/सहकारी संस्था/सरकारी संस्था के रूप में निविदाकार है तो भागीदारी फर्म या अविभाजित हिन्दु परिवार, कम्पनी/सहकारी संस्था/सरकारी संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति			
5.	भागीदारी फर्म/सहकारी संस्था/सरकारी संस्था/कम्पनी/अविभाजित हिन्दु परिवार की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुख्तयारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामित्व/प्रोपराइटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।			
6.	निर्धारित प्रतिभूति राशि (ई.एम.डी.) की बैंक सावधि जमा पावती, मण्डी समिति के नाम पर प्रस्तुत करना होगी। अतः संलग्न है			
7.	आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति			
8.	निविदा फार्म क्य किये जाने/बेबसाइट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के मूल्य की रसीद/बैंक ड्राफ्ट			
9.	सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति या सेवाकर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन की संबंधित विभाग की पावती की स्वप्रमाणित प्रति।			
10.	निर्धारित प्रारूप में स्वयं का घोषणा पत्र			
11.	निविदा परिशिष्ट 05 के स्पेसिफिकेशन की पूर्ति व कार्यों की अपेक्षा बाबत स्टेटमेंट मय हस्ताक्षर की प्रस्तुत			

(संलग्न दस्तावेजों पर पृष्ठ क्रमांक अंकित करना अनिवार्य है)

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

पूरा नाम

फर्म/संस्था का नाम

पता

एवं सील

हैसियत

कृषि उपज मण्डी समिति जिला
हेतु अनुबंध

(अनुबंध प्रारूप)

ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक की नियुक्ति हेतु अनुबंध

कृषि उपज मण्डी समिति जिला द्वारा मेरे/हमारे द्वारा दिनांक को प्रस्तुत सीलबन्द निविदा के प्रतिउत्तर में निविदा स्वीकृति आदेश क्रमांक दिनांक से प्रथम न्यूनतम निविदाकार घोषित करते हुये अनुबंध निष्पादन के लिये आमंत्रित किया गया है। तदनुसार निविदा की शर्तों के अधीन निविदा दस्तावेज में वर्णित नियमों व शर्तों को मान्य व स्वीकार करते हुये मैं/हम आज दिनांक को अनुबंध निष्पादित करता/करते हैं।

मेरे/हमारे द्वारा सचिव कृषि उपज मण्डी समिति जिला को प्रस्तुत की गई निविदा की शर्तों/नियमों/परिशिष्टों आदि को पूर्णतः समझ लिया है और उनसे आबद्ध रहने का अनुबंध करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम यह भी स्वीकार करते हैं कि निविदा दस्तावेज में वर्णित निविदा शर्तों/नियम/परिशिष्ट आदि इस अनुबंध का एक भाग हैं। मैं/हम स्वीकृत न्यूनतम निविदा दरों पर निविदा के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार उक्त कार्य इस अनुबंध की अवधि पर्यन्त सभी अवस्थाओं में मेरी/हमारी सर्वोच्च योग्यता से करूँगा/करेंगे।

मैं/हमारे द्वारा निविदा दस्तावेज में दर्शाये गये कार्य को निर्देशानुसार पूर्ण निष्ठा से पूर्ण करने का वचन भी देता/देते हूँ/हैं।

यह अनुबंध आज दिनांक से दिनांक तक के लिये प्रभावशील रहेगा।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

कृषि उपज मण्डी समिति की ओर से

पूरा नाम

(1) सचिव (2) अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी

फर्म/संस्था का नाम

(3) मण्डी का एक सदस्य या लेखापाल

पता

एवं सील

हैसियत

साक्षी 1.

2.

3.

4.

(सभी साक्षियों के नाम, पिता का नाम व पता मोबाइल नंबर अंकित किया जावे)

कृषि उपज मण्डी समिति जिला

हेतु वित्तीय बिड

प्रति,

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति

जिला

विषय :- ग्रेन एनालाइजर मशीन स्थापक सह सेवा संचालक की नियुक्ति हेतु निविदा।

—00—

ग्रेन एनालाइजर मशीन की स्थापना एवं मशीन से गुणवत्ता परीक्षण का कार्य करते हुये गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट e-NAM पोर्टल पर दर्ज करने की प्रति असेइंग की दर निम्नानुसार है :-

क्र	विवरण	दर (अंकों में) (दर प्रति एसेइंग की दी जावे)	दर (शब्दों में)
1.	ग्रेन एनालाइजर मशीन की स्थापना एवं मशीन से गुणवत्ता परीक्षण का कार्य करते हुये गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट e-NAM पोर्टल पर दर्ज करने की प्रति असेइंग की दर	रूपये प्रति एसेइंग	रूपये

उपरोक्तानुसार मेरी/हमारी न्यूनतम निविदा दर प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

पूरा नाम

फर्म/संस्था का नाम

पता

एवं सील

हैसियत